प्रेस नोट थाना सैंया जनपद आगरा

थाना सैंया पुलिस टीम द्वारा वर्ष 2012 से लगातार वांछित चल रहे रू0 5,000/– के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए अपहृता को किया गया बरामद....

जनपद आगरा में कोविड–19 संक्रमण के बचाव एंव वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा दिये गये आदेशानुसार तथा क्षेत्र में चोरी, लूट, डकैती, अवैध शराब की तस्करी करने व परिवहन, निर्माण आदि अपराधों की पूर्ण रोकथाम एवं इनामी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पश्चिमी के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी खैरागढ़ के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी सैंया को टीम गठित कर आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये।

इसी क्रमानुसार दिनांक 07.06.2021 को गठित पुलिस टीम द्वारा कोविड–19 के संक्रमण से बचाव हेतु जागरुकता एवं चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन हेतु थाना क्षेत्र में व्यस्त थे। चैकिंग के दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि मु0अ0सं0 371/2012 धारा 366 भा0द0वि0 में वांछित अभियुक्त अचनेरा बड़ी बस्ती में है यदि जल्दी की जाए तो गिरफ्तार किया जा सकता है।

पुलिस टीम द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण

मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुये पुलिस टीम द्वारा तत्काल बताये स्थान पर पहुँच एक बारगी दबिश देते हुये वांछित अभियुक्त रवि पुत्र वीरम को घेरघोट करते हुए एक बारगी दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया गया एंव घर से अपहृता को भी बरामद कर लिया गया।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त पर पूर्व में रू0 5,000/– का इनाम घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

01. रवि पुत्र वीरम नि0 जौनई थाना सैंया जनपद आगरा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

01. प्रभारी निरीक्षक श्री हंसराज भदौरिया थाना सैंया जनपद आगरा।
02. उ0नि0 बीरेन्द्र कुमार थाना सैंया जनपद आगरा।
03. हे0का0 रामगोपाल सिंह थाना सैंया जनपद आगरा।
04. का0 रामभान सिंह थाना सैंया जनपद आगरा।
05. म0का0 सपना थाना सैंया जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।